

अध्याय 2: पंजीकरण एवं छूटें

पंजीकरण के लिए आवेदनों का प्रक्रमण

2.1 धर्मार्थ न्यासों/संस्थाओं (न्यासों) के लिए अधिनियम के तहत छूट प्राप्त करने के लिए पंजीकरण करवाना एक अनिवार्य आवश्यकता है। एक न्यास स्वयं को पंजीकृत/अनुमोदित/अधिसूचित कराने के लिए सीसीआईटी/ सीआईटी/डीआईटी-ई को आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करेगा। तत्पश्चात्, संबंधित प्राधिकरण (**अनुबंध 2**) न्यास की वास्तविकता एवं उद्देश्यों की जाँच के बाद 06 महीने/12 महीने की निर्धारित समयावधि में पंजीकरण/अनुमोदन/अधिसूचनाएं जारी अथवा रद्द करेगा।

2.2 हमने 554 निर्धारण इकाईयों में देखा कि वि.व. 09 से वि.व. 11 के दौरान आईटीडी ने छूट प्राप्त करने के लिए पंजीकरण/ अनुमोदन प्रदान करने अथवा अधिसूचना जारी करने के लिए न्यासों के 1.75 लाख आवेदन प्राप्त किये। प्राप्त आवेदनों में से, सीसीआईटी/सीआईटी/डीआईटी-ई ने 0.90 लाख पंजीकरण/ अनुमोदन/अधिसूचनाएं प्रदान की, 0.36 लाख आवेदन रद्द किये एंवं 0.49 लाख आवेदन निपटान के लिए लम्बित थे। हमने सभी 0.90 लाख मामलों की संवीक्षा की जहाँ आईटीडी ने पंजीकरण/अनुमोदन/अधिसूचना प्रदान की थी एवं 6948 मामलों (7.72%) में प्रक्रियात्मक गलतियाँ देखीं। प्रक्रियात्मक गलतियों का सार नीचे दिया गया है।

आईटीडी ने आवश्यक दस्तावेजों जैसे न्यास विलेख की प्रति, न्यास विलेख में उपयुक्त खण्डों, लेखापरीक्षित लेखाओं इत्यादि की जाँच किये बिना 799 न्यासों को पंजीकरण/अनुमोदन/अधिसूचनाएं प्रदान की।

पर्याप्त दस्तावेजों के बिना अनुमोदन/ पंजीकरण प्रदान करना

2.3 आयकर नियम (नियम) 17ए (ए) में प्रावधान है कि न्यास प्रपत्र 10बी में लेखापरीक्षित लेखाओं की दो प्रतियों के साथ प्रपत्र 10ए में एक आवेदन के साथ मूल न्यास विलेख अथवा इसकी एक सत्यापित प्रति यह स्थापित करने के लिए प्रस्तुत करेगा कि न्यास एक दस्तावेज के तहत बनाया गया है।

2.4 हमने देखा कि 342 मामलों में, आईटीडी ने न्यास विलेख की सत्यापित प्रति अथवा लेखापरीक्षित लेखाओं इत्यादि की निर्धारित प्रतियों के अभाव में अनुमोदन/पंजीकरण/अधिसूचनाएँ प्रदान की थी (बाक्स 2.1 देखें)।

बाक्स 2.1: निर्दर्शी मामला

कर्नाटक में, सीआईटी दावानगरे ने 25 मार्च 2008 को धारा 12ए के तहत **पेरियोलुमनी** को पंजीकरण प्रदान किया। संघ किसी न्यास विलेख अथवा संघ के ज्ञापन के बिना ही गठित किया गया था। प्रस्ताव से पता चला कि इसके लक्ष्य एंव उद्देश्य संघ के सदस्यों की आवश्यकता को पूरा करने से संबंधित थे न कि जन साधारण के उद्देश्यों अथवा आवश्यकताओं से। इसके अतिरिक्त, इसकी गतिविधियों में से कोई भी धर्मर्थ उद्देश्य की परिधि में नहीं आते थे जैसा कि अधिनियम की धारा 2 (15) के अन्तर्गत परिभाषित किया गया था।

2.5 मंत्रालय ने बाक्स 2.1 में दर्शाई गई लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (मई 2013) एवं अप्रैल 2013 में पंजीकरण वापस ले लिया।

2.6 लेखापरीक्षा का विचार है कि मंत्रालय को निर्धारिती को दी गई छूटों की समीक्षा करनी चाहिए एवं एक प्रणाली भी विकसित करनी चाहिए ताकि निर्धारित दस्तावेजों जैसे न्यास विलेख की प्रति, लेखापरीक्षित लेखाओं की प्रतियाँ इत्यादि के बिना न्यास को कोई पंजीकरण प्रदान न किया जाए।

न्यास विलेख में विघटन की शर्त शामिल न करना

2.7 आईटीडी की कार्यालय प्रक्रिया संहिता (खण्ड II) के पैरा 2.7 (viii) में अन्य बातों के साथ साथ यह भी प्रावधान है कि एक न्यास के विघटन के मामले में इसकी सभी देयताओं को पूरा करने के बाद इसकी सकल परिसम्पत्तियाँ इसके संस्थापक, सदस्यों, निदेशकों, दानियों इत्यादि को वापस नहीं होंगी बल्कि इसके उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त होंगी। विघटन खण्ड के अभाव में, न्यास की राशि का विघटन के समय दुरुपयोग हो सकता है।

2.8 हमने देखा कि आईटीडी ने 457 मामलों में अनुमोदन/पंजीकरण/अधिसूचनाएँ प्रदान की थीं जिनमें न्यास विलेख में कोई विघटन खण्ड नहीं था (बाक्स 2.2 देखें)।

बाक्स 2.2: निर्दर्शी मामला

नि.व. 10 में डीआईटी-ई, मुम्बई में मुम्बई रेलवे विकास कार्पोरेशन के मामले में, न्यास विलेख विघटन खण्ड के बारे में मौन था। परिसम्पत्तियाँ एंव अधिशेष पणधारकों के बीच बौंटें जाने थे एवं किसी अन्य न्यास को जो उस न्यास के समान उद्देश्यों के लिए था, नहीं दिये जाने थे। इसी प्रकार स्टरलाईट फाउन्डेशन के अन्य मामले में, प्रबंधक सदैव आबादकार के परिवार से नामित किया जाता था।

2.9 मंत्रालय ने कहा (मई 2013) कि मुम्बई एवं गुजरात, बॉम्बे लोक न्यास अधिनियम, 1980 सुनिश्चित करता है कि कोई भी राशि किसी संस्थापक इत्यादि को वापस नहीं की जा सकती क्योंकि सम्पत्तियाँ धर्मर्थ आयुक्त की अनुमति से केवल समान उद्देश्यों वाले अन्य न्यासों को हस्तांतरित होती हैं। अतः विलेख में विघटन खण्ड का समावेशन न तो आवश्यक है और न ही उन राज्यों में वैधानिक जहाँ विशिष्ट कानून ऐसे प्रत्यावर्तन पर रोक लगाता है।

2.10 लेखापरीक्षा का विचार है कि किसी विशेष राज्य में लागू स्थानीय कानून में ऐसे खण्ड सारे देश को कवर नहीं करते। इसके अतिरिक्त, अन्य अधिनियमों में निर्धारित प्रक्रिया को आयकर अधिनियम के तहत लागू नहीं किया जा सकता जो कर से छूट प्राप्त न्यासों द्वारा सार्वजनिक धन से उत्पन्न परिसम्पत्तियों एवं सम्पत्तियों का भविष्य निर्धारित नहीं करता। मंत्रालय ने उन मामलों की संख्या नहीं दर्शाई जहाँ धर्मार्थ आयुक्त ने परिसम्पत्तियों को समान उद्देश्य वाले अन्य न्यासों को वापस करने के लिए कार्रवाई की हो। अतः मंत्रालय को सभी राज्यों में न्यास विलेख में "विघटन खण्ड" के समावेशन पर जोर डालना चाहिए चाहे स्थानीय कानून विद्यमान हो या न हो।

आईटीडी ने बिना पैन वाले 73 न्यासों को पंजीकरण/अनुमोदन/अधिसूचनाएँ प्रदान की जो अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध हैं।

पैन के बिना पंजीकरण प्रदान करना

2.11 अधिनियम की धारा 139ए के तहत, आईटीडी के पास दस्तावेज/रिटर्न भरते समय स्थाई खाता संख्या (पैन) का उद्धरण अनिवार्य किया गया है क्योंकि यह करदाता का विशिष्ट पहचान कोड है। धारा 12ए के तहत पंजीकरण प्राप्त करने के लिए, न्यास को आयकर नियमावली, 1962 के नियम 17ए में निर्धारित प्रपत्र सं. 10ए में आवेदन करना होता है।

2.12 हमने देखा कि आईटीडी ने पंजीकरण प्रदान किये एवं 73 मामलों में धर्मार्थ न्यासों को छूट अनुमत की जहाँ पैन नहीं था। इसके अतिरिक्त, प्रपत्र 10ए में पैन के उद्धरण के लिए कोई कॉलम नहीं है एवं इसके कारण धारा 12ए के तहत पंजीकरण के लिए आवेदन करने से पहले पैन प्राप्त करना निर्धारिती पर बाध्यकारी नहीं है। पैन के अभाव में, ऐसे निर्धारितियों का पता लगाना मुश्किल है जो रिटर्न नहीं भर रहे हैं।

2.13 मंत्रालय फार्म 10ए में पैन के समावेश की जांच के लिए सहमत हो गया (मई 2013)। आयकर विभाग ने ₹ 87.33 करोड़ के कर प्रभाव वाले 60 मामलों में उन न्यासों को अनियमित रूप से अनुमोदन/पंजीकरण प्रदान किया जिनके उद्देश्य धर्मार्थ प्रकृति के नहीं थे।

उन न्यासों को अनियमित रूप से छूट जो धर्मार्थ प्रकृति के नहीं थे

2.14 अधिनियम की धारा 2(15) के संशोधित प्रावधान के अनुसार 01 अप्रैल 2009 से किसी सेवा के प्रतिदान में कोई गतिविधि या एक उपकर के लिए किसी व्यापार, वाणिज्य या कारोबार से संबंधित कोई सेवा या कोई अन्य प्रतिफल धर्मार्थ उद्देश्यों के दायरे में नहीं आएगा।

2.15 हमने पाया कि आयकर विभाग ने उन न्यासों को 60 मामलों में छूटे प्रदान की जिनके उद्देश्य धर्मार्थ प्रकृति के नहीं थे जिनमें ₹ 87.33 करोड़ का कर प्रभाव सम्मिलित था। (बॉक्स 2.3 देखें)

बॉक्स 2.3: निर्दर्शी मामला

डीआईटी-ई, मुम्बई में आयकर विभाग ने नि.व. 09 और नि.व. 10 के दौरान धारा 11 के अन्तर्गत सोसाइटी फार एस्टाइल माइक्रोवेव इलैक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग एवं रिसर्च को छूटें अनुमत की थी। निर्धारिती की गतिविधियां धर्मार्थ प्रकृति की नहीं थीं बल्कि पूर्णतः एक अनुसंधान कार्य था जिसके लिए अधिनियम में पृथक प्रावधान दिए गए हैं। निर्धारिती ने अन्य आय के साथ-साथ सरकार से ₹ 44.80 करोड़ का अनुदान प्राप्त किया और अधिनियम की धारा 11(2) के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण किए बिना ₹ 19.85 करोड़ का अधिशेष अर्जित किया जिसे संचय के माध्यम से छूट प्राप्त थी। अनुसंधान न्यासों को अनुमत अनियमित छूटों के परिणामस्वरूप कुल ₹ 31.31 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ जिसमें ₹ 10.63 करोड़ का कम कर उद्ग्रहण सम्मिलित था।

2.16 मंत्रालय बॉक्स 2.3 में दिए गए निर्दर्शी मामले की जांच के लिए सहमत हो गया (मई 2013)। तथापि, मंत्रालय ने जुलाई 2013 में उत्तर दिया कि वैज्ञानिक अनुसंधान करना आम जनता के उपयोग का उद्देश्य माना गया है और इस प्रकार यह धारा 12ए के अन्तर्गत पंजीकरण योग्य है।

2.17 लेखापरीक्षा ने निर्दर्शी मामले के अतिरिक्त उन मामलों पर भी ध्यान दिलाया था जहाँ निर्धारिती की गतिविधियों के लिए धारा 12 के अन्तर्गत दी गई छूटें अधिनियम की धारा 2(15) के अनुसार धर्मार्थ प्रकृति की नहीं थीं। वे उपकर के लिए व्यापार, वाणिज्य या कारोबार के संबंध में या अन्य किसी प्रतिफल के लिए सेवाएं दे रहे थे जो कि धर्मार्थ उद्देश्यों के दायरे के अन्तर्गत नहीं आते। इसलिए, मंत्रालय को मामलों की जांच के अतिरिक्त उपयुक्त निर्देश जारी करने चाहिए कि एओ को अधिनियम की धारा 2(15) के अन्तर्गत सम्मिलित केवल उन न्यासों को छूट अनुमत करनी चाहिए जो धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए आय का उपयोग करते हैं। इसके अलावा, छूट का लाभ उठाने के लिए अनुसंधान संस्थानों के लिए अधिनियम में अलग प्रावधान मौजूद हैं। सक्षम प्राधिकारी अधिनियम की धारा 35 के साथ पठित धारा 10(21) के बजाए धारा 12एए के अन्तर्गत पंजीकरण प्रदान करने के औचित्य को साबित करने के लिए निर्धारिती की गतिविधियों/उद्देश्यों की जांच कर कर सकते हैं।

विभिन्न प्राधिकारियों के बीच अनुमोदन/पंजीकरण देने या खारिज करने में कोई संबंध नहीं था। आयकर विभाग ने ₹ 4.94 करोड़ के कर प्रभाव वाले तीन मामलों में पंजीकरण रद्द करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की।

विभिन्न छूट प्राधिकारियों द्वारा पंजीकरण/अनुमोदन अनुमत करने में परस्पर संबंध न होना

2.18 संबंधित सीसीआईटी धारा 10(23सी) के अन्तर्गत अधिसूचनाएं जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है जबकि नियमित प्रभाव वाले सीआईटी और डीआईटी-ई, धारा 12ए के अन्तर्गत पंजीकरण प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी हैं।

2.19 हमने पाया कि ₹ 4.94 करोड़ के कर प्रभाव वाले तीन मामलों में एक आईटीडी प्रधिकारी ने पंजीकरण की छूट अनुमत की थी। अन्य अधिकारी ने इन ट्रस्टों का पंजीकरण इस आधार पर अस्वीकार किया था कि ट्रस्ट धर्मार्थ/शिक्षा के उद्देश्यों के लिए नहीं बल्कि लाभ के प्रयोजन के लिए हैं। तथापि, आयकर विभाग ने पूर्व प्राधिकारी द्वारा ट्रस्टों को प्रदान किए गए पंजीकरण को रद्द करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की और छूट अनुमत की (बॉक्स 2.4 देखें)।

बॉक्स 2.4: निर्दर्शी मामला

डीआईटी-ई, मुम्बई में ब्रीच कैंडी अस्पताल का सितम्बर 2007 में धारा 12ए के तहत पंजीकरण किया गया था और नि.व 09 के लिए धारा 11 के अन्तर्गत छूट अनुमत की गई थी। तथापि, सीसीआईटी ने 25 अप्रैल 2010 में नि.व. 03 से नि.व. 11 के लिए धारा 10(23सी) के तहत लाभ का उद्देश्य होने और कोई परोपकार न होने के आधार पर अनुमोदन अस्वीकार कर दिया। आयकर विभाग ने धारा 12ए के तहत पंजीकरण रद्द करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की और धारा 11 के तहत छूट अस्वीकार कर दी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 14.56 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ जिसमें ₹ 4.94 करोड़ का कर प्रभाव सम्मिलित था।

2.20 मंत्रालय ने कहा (मई 2013) कि सीसीआईटी द्वारा धारा 10(23सी) के तहत दिए गए अनुमोदन को एक विशेष मामले में अस्वीकार कर दिया गया जबकि पंजीकरण इसलिए दिया गया था क्योंकि पंजीकरण की आवश्यकता और अनुमोदन अलग-अलग हैं। मंत्रालय ने यह भी कहा कि धारा 10(23सी) के तहत अनुमोदन धारा 12एए के तहत पंजीकरण से अधिक प्रतिबंधक है। अतः यह संभव है कि ट्रस्ट के धारा 12एए के अन्तर्गत पंजीकृत रहते हुए भी धारा 10(23सी) के तहत अनुमोदन के लिए मना कर दिया जाए।

2.21 लेखापरीक्षा का मत है कि अनुमोदन के लिए मना करने वाले और एओज़ द्वारा अनुमत छूट देने वाले प्राधिकारियों में समन्वय का अभाव है। निर्धारिती और उसकी मुख्य गतिविधियाँ वही रहती हैं चाहे वह विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत पंजीकृत/अनुमोदित भी क्यों न हों। चूंकि धारा 10(23सी) के लिए योग्यता धारा 12एए के तहत पंजीकरण से अधिक प्रतिबंधक है, अतः एओ अनुमोदन के अस्वीकरण के आदेश के संदर्भ में आय उपयोग के तथ्यों की जांच के बाद धारा 11/12 के अन्तर्गत छूट अनुमत कर सकता है।

आयकर विभाग ने 161 मामलों में अनियमित रूप से पंजीकरण/छूट प्रदान की जिसमें अधिनियम में निहित प्रावधानों के पूर्वव्यापी प्रभाव के उल्लंघन सहित ₹ 24.23 करोड़ का राजस्व प्रभाव सम्मिलित था।

पूर्वव्यापी प्रभाव से पंजीकरण/छूट प्रदान करना

2.22 अधिनियम की धारा 12ए (2) के अनुसार जहाँ जून 2007 के पहले दिन या उसके बाद किए गए धारा 11 और 12 के प्रावधान ऐसे ट्रस्ट या संस्था की आय के संबंध में, उस वित्तीय वर्ष जिसमें उन्हें लागू किया गया है, से अगले निर्धारण वर्ष से लागू होंगे जिसमें प्रार्थना पत्र दिया गया है।

2.23 हमने पाया कि आयकर विभाग ने 161 न्यासों को उनके द्वारा पंजीकरण के लिए आवेदन दाखिल करने की अवधि से पूर्व पंजीकरण प्रदान किया। इसके कारण न्यासों ने अनियमित छूटों का दावा किया जिसमें ₹ 24.23 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था। (बॉक्स 2.5 देखें)

बॉक्स 2.5: निर्दर्शी मामला

क. सीआईटी ग्वालियर, मध्य प्रदेश ने 14 जुलाई 2010 को ओम चेरिटेबल चिकित्सा, ग्वालियर को धारा 12ए के अन्तर्गत नि.व. 11 से पंजीकरण प्रदान किया। तथापि, एओ ने निर्धारिती को नि.व. 08, नि.व. 09 और नि.व. 10 के लिए छूट अनुमत की थी। इसके परिणामस्वरूप पंजीकरण जारी किए बिना अनियमित छूट दी गई जिसमें ₹ 24.80 लाख का कर प्रभाव शामिल था।

ख. सीआईटी त्रिवेंद्रम, केरल में आय कर विभाग ने नि.व. 09 और नि.व. 10 के लिए केरल राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद के निर्धारण अक्टूबर 2010 में संक्षिप्त निर्धारण के रूप में पूरे किए जिसमें धारा 11 के अन्तर्गत क्रमशः ₹ 61.18 लाख और ₹ 4.42 करोड़ की छूट अनुमत की गई थी। आयकर विभाग ने धारा 12ए के अन्तर्गत निर्धारिती को केवल नि.व. 11 से पंजीकरण प्रदान किया। अनियमित रूप से छूटें प्रदान करने में ₹ 2.17 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था।

2.24 मंत्रालय ने बॉक्स 2.5 में निर्दर्शी लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया (मई 2013) और सुधारात्मक कार्रवाई प्रारंभ की। तथापि, उन्होंने बताया कि इनमें काफी मामले संक्षिप्त निर्धारण के प्रतीत होते हैं।

2.25 लेखापरीक्षा ने जोर दिया कि न्यासों के 95 प्रतिशत से अधिक निर्धारणों को संक्षिप्त निर्धारण में अन्तिम रूप दिया जाता है। इसलिए, सीबीडीटी को संक्षिप्त निर्धारण में भी इस प्रकार की गलतियों को कम करने के लिए आन्तरिक नियंत्रण तंत्र को मजबूत करना चाहिए।

594 मामलों में अनुमोदन/पंजीकरण/अधिसूचनाएं प्रदान करने में निर्धारित अवधि से 6 माह से 24 माह से अधिक का विलम्ब था। आयकर विभाग की ओर से विलम्ब के परिणामस्वरूप उन न्यासों के अनुमोदन प्रदान किए/मान लिए गये जो अन्यथा योग्य नहीं थे।

पंजीकरण/अनुमोदन/अधिसूचना प्रदान करने में विलम्ब

2.26 अधिनियम की धारा 12ए/नियम 11ए(6) में प्रावधान है कि आयुक्त, धारा 12ए80(जी) के अन्तर्गत, पंजीकरण/अधिसूचना का आदेश पारित करेगा या ऐसे आवेदन की तिथि से छ: माह के अन्दर आवेदन अस्वीकार करेगा। तथापि, धारा 10(23सी) में ऐसे आवेदन की प्राप्ति के माह के अन्त से 12 माह की अवधि के अन्दर आवेदन को अनुमोदन प्रदान करने या अस्वीकार करने की समय सीमा प्रदान की गई है।

2.27 छ: माह के अन्दर आवेदन पर कार्रवाई न करने के मामले में उपलब्ध परिणाम/उपचार के बारे में अधिनियम स्पष्ट नहीं है। हालांकि, अस्वीकरण के विरुद्ध अपील का प्रावधान है, परन्तु आवेदन पर कार्रवाई करने में विलम्ब के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। तथापि, यह निर्णय¹⁰ लिया गया था कि यदि छ: माह के अन्त तक कोई कार्रवाई या परिणामस्वरूप नहीं निकलता है तो सीआईटी को प्रदान की गई छ: माह की समयसीमा का उद्देश्य अर्थहीन हो जाएगा। इसलिए छ: माह की समाप्ति के बाद पंजीकरण प्रदान किया गया समझा जाएगा।

¹⁰ शिक्षा, साहसिक खेल, पर्यावरण संरक्षण प्रोत्साहन समिति बनाम सीआईटी (2008) 171 टैक्समैन 113 (एएलएल)।

2.28 हमने पाया कि 594 न्यासों के मामलों में आयकर विभाग ने पंजीकरण/अनुमोदन/अधिसूचना जारी करने में निर्धारित अवधि से 6 या 12 माह तक के विलम्ब किए थे (बॉक्स 2.6 देखें)

बॉक्स 2.6: निर्दर्शी मामला

सीआईटी ग्वालियर, मध्य प्रदेश ने सर्व सेवा समर्पित समिति द्वारा 18 जून 2009 को धारा 12ए के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन को 29 जनवरी 2010 की निर्धारित अवधि के छः माह के बाद खारिज कर दिया। अपील पर आईटीएटी ने दिनांक 28 मई 2010 के अपने आदेश द्वारा सीआईटी के आदेश को इस आधार पर रद्द कर दिया कि सीआईटी ने अपना आदेश छः माह की निर्धारित अवधि के बाद पारित किया था। सीआईटी द्वारा निर्धारित अवधि में आवेदन की अस्वीकृति में विलम्ब के परिणामस्वरूप एक संस्थान को गलत अनुदान प्रदान किया गया जिसकी सीआईटी की राय में पात्रता तक नहीं थी।

2.29 मंत्रालय ने बॉक्स 2.6 में निर्दर्शी लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (मई 2013)। तथापि, उन्होंने कहा कि अपवादात्मक मामलों में ही विलम्ब हुए थे। सामान्यतया छः माह की समय सीमा का अनुसरण किया जा रहा था।

2.30 लेखापरीक्षा का मत है कि 594 मामलों में दिए गए अनुमोदन में देखे गए विलम्ब अपवादात्मक नहीं हो सकते। मंत्रालय को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिनियम की धारा 10(23सी), 12ए और 80जी के अन्तर्गत आदेश जारी करने के लिए समय सीमा का पालन सभी मामलों में निश्चित रूप से किया जाना चाहिए; अन्यथा अनुमोदन देने में विलम्ब के लिए जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए जिससे केवल पात्र न्यासों को ही छूट की अनुमति दी जाए।

आयकर विभाग ने पंजीकरण/अनुमोदन अधिसूचना प्रदान किए बिना 53 न्यासों को अनियमित छूटें अनुमत की जिनमें ₹ 8.88 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था।

पंजीकरण/अनुमोदन/अधिसूचना के बिना छूट देना

2.31 अधिनियम की धारा 12ए में यह प्रावधान है कि धारा 11 और 12 के अन्तर्गत लाभ तभी उपलब्ध होगा जब धारा 12ए के खण्ड (ए) और (बी) में निर्दिष्ट शर्तों को संतोषजनक रूप से पूरा किया गया हो। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय¹¹ दिया था कि जबतक एक संस्थान धारा 12ए के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं होता, तब तक वह धारा 11 और 12 के अन्तर्गत कर के भुगतान से छूट का हकदार नहीं है।

2.32 हमने पाया कि ₹ 8.88 करोड़ के कर प्रभाव वाले 53 मामलों में, आयकर विभाग ने पंजीकरण प्रदान किए बिना अनियमित रूप से छूटें अनुमत कीं (बॉक्स 2.7 देखें)।

¹¹ उ.प्र. वन निगम बनाम सीटी (2007) 165 टैक्समैन 533 (एससी)

बॉक्स 2.7: निर्दर्शी मामला

सीआईटी-II जबलपुर, मध्य प्रदेश ने 01 अप्रैल 2011 से विकास मैत्री सिस्टर्स ऑफ सेंट जोसेफ ऑफ टार्बेस, कोटमा को 03 फरवरी 2011 को धारा 12ए के अन्तर्गत पंजीकरण प्रदान किया। तथापि, नि.व. 2010-11 और नि.व. 2011-12 के दौरान निर्धारिती ने छूट का दावा किया और आयकर विभाग ने धारा 11 और 12 के अन्तर्गत इसे अनुमत किया। इसके परिणामस्वरूप, नि.व. 2010-11 के लिए ₹ 34 लाख और नि.व. 2011-12 के लिए ₹ 61 लाख तक की आय का कम निर्धारण हुआ। इसके परिणामस्वरूप ₹ 28.50 लाख का कर कम प्रभारित किया गया।

2.33 मंत्रालय ने कहा (मई 2013) कि गलतियां बहुत कम हैं और अपवादात्मक मामलों में हैं।

2.34 लेखापरीक्षा का मत है कि लेखापरीक्षा में देखी गई गलतियां अपवादात्मक नहीं हैं। मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एओ छूट की अनुमति देने से पूर्व निरपवाद रूप से सभी मामलों में निर्धारिती के पंजीकरण की स्थिति का पता लगाए।

आयकर विभाग ने सक्षम प्राधिकारी द्वारा पंजीकरण/अनुमोदन रद्द करने के बावजूद 72 मामलों में ₹ 8.88 करोड़ के कर प्रभाव की छूट की अनुमति प्रदान की।

पंजीकरण/अनुमोदन/अधिसूचना रद्द होने के बावजूद छूट प्रदान की गई।

2.35 एक न्यास को धारा 12ए/10(23सी) के अन्तर्गत छूट का दावा करने के लिए स्वयं को संबंधित अधिकारक्षेत्र वाले डीआईटी/सीआईटी के पास पंजीकृत कराना पड़ता है। धारा 11 एवं 12/10(23सी) के अन्तर्गत छूट पंजीकरण/अनुमोदन की अनुमति वाले वर्ष से अगले निर्धारण वर्ष से मिलती है।

2.36 हमने देखा कि न्यास के 72 मामलों में, एओज़ ने पंजीकरणों/अनुमोदनों के रद्द होने के बावजूद न्यासों को नियमित रूप से छूट प्रदान की जिसमें ₹ 8.88 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था। (बॉक्स 2.8 देखें)।

बॉक्स 2.8 : निर्दर्शी मामले

सीआईटी पटना, बिहार में, सीआईटी पटना ने निर्धारण वर्ष 07 में बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड को इस आधार पर धारा 10(23 सी) (iii एबी) के अन्तर्गत छूट से इनकार कर दिया कि वह पूरी तरह या काफी हद तक बिहार सरकार द्वारा वित्तपोषित नहीं थी और इसलिए धारा 10 (23सी) (iii एबी) के पूर्वावलोकन में नहीं आती थी। सीआईटी (अपील) ने केवल बिहार सरकार से प्राप्त अनुदान के लिए ही राहत दी थी। आयकर विभाग ने निर्धारण वर्ष 08 और निर्धारण वर्ष 09 में कर प्रभारित किया। तथापि, आयकर विभाग ने निर्धारण वर्ष 10 के लिए दावित छूट की अनियमित रूप से संक्षिप्त अवस्था पर अनुमति प्रदान की। अनियमित छूट के परिणामस्वरूप ₹ 6.33 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ जिसके कारण ₹ 3.27 करोड़ के कर का कम उद्घरण हुआ।

2.37 मंत्रालय ने कहा (मई 2013) कि उसने बॉक्स 2.8 पर निर्दर्शित मामले के संबंध में धारा 147 के अन्तर्गत उपचारी कार्रवाही शुरू कर दी है। तथापि, निर्धारिती ने सभी निर्धारित वर्षों के लिए आईटीएटी के पास अपील कर दी है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि गलतियां अधिकांशतः संक्षिप्त निर्धारण के मामलों में हैं और वे अपवादात्मक स्वरूप की हैं।

2.38 लेखापरीक्षा का यह मत है कि इन गलतियों के लिए संक्षिप्त निर्धारण कोई बहाना नहीं है। एक ऐसा प्रभावी तन्त्र होना चाहिए जो यह सुनिश्चित करे कि एक बार जब न्यास को पंजीकरण के लिए मना कर दिया जाता है, तो उसे न्यास के रूप में संक्षिप्त अथवा संवीक्षा

निर्धारण में कोई छूट नहीं मिलती। मंत्रालय को इस संबंध में समुचित अनुदेश जारी करने चाहिए।

2.39 मंत्रालय ने यह भी कहा (जुलाई 2013) कि रद्द करने के आदेश की प्रति सदैव एओ को भेजी जाती है ताकि ऐसे मामलों में छूट दी जा सके। तथापि, चूंकि बड़ी संख्या में ये मामले संक्षिप्त निर्धारण योजना के अन्तर्गत स्वीकार किए जाते हैं, इसलिए ऐसी गलतियां हो जाती हैं। तथापि, यदि आयकर विभाग का साफ्टवेयर संशोधित कर दिया जाए जिसमें पंजीकरण/रद्दीकरण मॉड्यूल, निर्धारण मॉड्यूल के साथ लिंक किया गया हो, तो ऐसी गलतियों से बचा जा सकता है।

आयकर विभाग ने धारा 10(23सी) (iiiए)/(iiiएडी) के अन्तर्गत 9 मामलों में अनियमित रूप से छूट की अनुमति प्रदान की जिनमें ₹ 2.39 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था यद्यपि सकल प्राप्ति ₹ एक करोड़ से अधिक थी।

सकल प्राप्ति के माध्यम से दी गई छूट ₹ एक करोड़ से अधिक थी।

2.40 धारा 10(23सी)(iiiए) तथा 10(23सी)(iiiएडी) के अन्तर्गत छूट एक विश्वविद्यालय अथवा अन्य शैक्षिक संस्था को दी जाती है जिसका वित्तपोषण काफी हद तक सरकार द्वारा किया जाता है या जो धमार्थ उद्देश्य के लिए शैक्षिक क्रियाकलाप करता है न कि लाभ के उद्देश्य से, यदि उक्त संस्था की सकल प्राप्ति ₹ एक करोड़ से कम है। जहां सकल प्राप्ति ₹ एक करोड़ से अधिक होती है, तो धारा 10(23सी)(vi) के अन्तर्गत छूट लेने के लिए सीसीआईटी का अनुमोदन अपेक्षित होता है।

2.41 हमने देखा कि ऐसे 9 मामलों में जहां ₹ 2.39 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था, आयकर विभाग ने उन संस्थाओं को छूट प्रदान की जहां सकल प्राप्तियां ₹ एक करोड़ से अधिक थी और वे संस्थाएं वस्तुतः सरकार द्वारा वित्तपोषित नहीं थी (बॉक्स 2.9 देखें)।

बॉक्स 2.9: निर्दर्शी मामला

सीआईटी फरीदाबाद, हरियाणा में एओ ने दिसम्बर 2008 में संवीक्षा के पश्चात् निर्धारण वर्ष 07 के लिए विद्या मंदिर का निर्धारण पूरा किया जिसमें उसे धारा 10(23सी)(iii एडी) के अन्तर्गत छूट की अनुमति की गई। हमने देखा कि यद्यपि निर्धारित न्यास की समग्र प्राप्तियां, ₹ 1.00 करोड़ की निर्धारण सीमा से अधिक थी, तथापि धारा 10(23सी)(vi) के अन्तर्गत निर्धारित अधिकारी से अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.66 करोड़ की अनियमित छूट दी गई जिसमें ₹ 97.89 लाख का कर प्रभाव शामिल था।

2.42 मंत्रालय ने कहा कि (मई 2013) कि वे उपर्युक्त सभी मामलों की प्रयोज्यता की जांच कर रहे हैं।

2.43 लेखापरीक्षा का यह मत है कि मंत्रालय को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि एओज छूट अनुमत करने से पूर्व ऐसे सभी मामलों में निरपवाद रूप से निर्धारिती के पंजीकरण की स्थिति की जांच करते हैं।

2.44 मंत्रालय ने आगे कहा (जुलाई 2013) कि तथापि, यदि आयकर विभाग का सॉफ्टवेयर संशोधित कर दिया जाए जिसमें पंजीकरण/रद्दीकरण मॉड्यूल, निर्धारण मॉड्यूल के साथ लिंक

किया गया हो,, तो ऐसी गलतियों से बचा जा सकता है। लेखापरीक्षा भी निर्धारिण मॉड्यूल में आशोधन की सिफारिश करता है।

आयकर विभाग ने धारा 80 जी के अन्तर्गत 9 मामलों में अनियमित छूट प्रदान की, यद्यपि निर्धारित शर्तें पूरी नहीं हुई थी।

धारा 80 जी के अन्तर्गत छूट प्रदान की गई हालांकि निर्धारित शर्तें पूरी नहीं हुई थी

2.45 धारा 80 जी (5बी) के साथ पठित धारा 80 जी (5)(ii) में प्रावधान है कि 80जी की अधिसूचना का पात्र होने के लिए, धार्मिक उद्देश्यों के प्रति अधिकतम एप्लिकेशन किसी पिछले वर्ष की आय के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

2.46 डीआईटी-ई, मुम्बई में, आयकर विभाग ने न्यास का धार्मिक उद्देश्यों पर खर्चा उसकी कुल आय के पांच प्रतिशत से अधिक होने के बावजूद, नौ मामलों में धारा 80 जी के अन्तर्गत अधिसूचना जारी की।

2.47 मंत्रालय ने कहा (मई 2013) कि ये अपवादात्मक मामले हैं और वे सामान्यतः प्रावधान को लागू करते हैं।

2.48 लेखापरीक्षा का यह मत है कि मंत्रालय को इस प्रकार की गलतियों को न्यूनतम करने के लिए प्रभावी मॉनीटरिंग के लिए समुचित अनुदेश बार-बार दोहराने चाहिए।

आयकर विभाग ने रिटर्नों के साथ लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत किए बिना 117 मामलों में नियमों के विरुद्ध छूट प्रदान की।

लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत किए बिना छूट दी गई

2.49 धारा 12ए(1)(बी) तथा 10(23सी) के अन्तर्गत प्रावधान है कि यदि धारा 11 और 12 के अन्तर्गत छूट से पहले अधिनियम के अन्तर्गत परिकलित न्यास की कुल आय किसी पिछले वर्ष में आयकर को प्रभार्य न की गई अधिकतम राशि से बढ़ जाती है, तो न्यास के उस वर्ष के लेखाओं की धारा 228(2) की व्याख्या में की गई परिभाषा के अनुसार एक लेखाकार द्वारा लेखापरीक्षा की जानी अपेक्षित है तथा नियम 17 बी के अनुसार फॉर्म-10 बी में लेखापरीक्षा रिपोर्ट आय की रिटर्न के साथ फाईल की जानी अपेक्षित है।

2.50 हमने देखा कि आयकर विभाग ने लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत किए बिना 117 न्यासों को छूट अनुमत की (बॉक्स 2.10 देखें)।

बॉक्स 2.10: निर्दर्शी मामला

डीआईटी-ई, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में, आयकर विभाग ने लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत किए बिना **सुसरूट नेत्र संस्थान एवं अनुसंधान केन्द्र** को निर्धारण वर्ष 10 तथा निर्धारण वर्ष 11 के दौरान क्रमशः ₹ 4.98 करोड़ तथा ₹ 6.65 करोड़ की छूट अनुमत की।

2.51 मंत्रालय ने पुनः कहा (मई 2013) कि गलतियां अधिकतर संक्षिप्त निर्धारण के मामलों में हैं और अपवादात्मक स्वरूप की हैं।

2.52 लेखापरीक्षा का यह मत है कि मंत्रालय को लेखापरीक्षा रिपोर्ट का सार आईटीआर-7 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रोसेस करने पर विचार करना चाहिए ताकि किसी भी मामले में लेखाओं की लेखापरीक्षा के बिना छूट न दी जा सके।

सिफारिशें

2.53 हम सिफारिश करते हैं कि

क. मंत्रालय को इस बात का पता लगाने के लिए कि क्या सक्षम प्राधिकारियों डीजीआईटी-ई/सीसीआईटी/सीआईटी/डीआईटी-ई ने पंजीकरण हेतु अधिनियम में विनिर्दिष्ट सभी अपेक्षित दस्तावेजों की जांच कर ली है, विद्यमान तन्त्र का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।

मंत्रालय ने विद्यमान तन्त्र का अनुपालन करने का आश्वासन दिया (मई 2013)। मंत्रालय ने आगे कहा (जुलाई 2013) कि सक्षम प्राधिकारी, डीजीआईटी (ई)/सीसीआईटी/सीआईटी/डीआईटी (ई), सांविधिक प्राधिकारी हैं, जो पंजीकरण के बारे में अपने कार्य अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार करते हैं जिसमें समुचित जांच, जहां निर्धारित है, भी शामिल है।

लेखापरीक्षा अपने मत को दोहराता है क्योंकि हमने ऐसे मामले देखे जहां सक्षम प्राधिकारियों ने अधिनियम में विनिर्दिष्ट अपेक्षित दस्तावेजों को मंगाए बिना पंजीकरण कर दिया।

ख. मंत्रालय को पैन के पंजीकरण हेतु एक पूर्वापेक्षा शर्त बनाने के लिए आयकर नियमावली के नियम 17 ए में समुचित परिवर्तन करने तथा फॉर्म सं. 10ए में बॉक्स (पैन संख्या) डालने पर विचार करना चाहिए।

मंत्रालय ने कहा (मई 2013) कि फॉर्म सं. 10ए में पैन को शामिल करने के बारे में जांच की जाएगी।

ग. मंत्रालय को अनुमोदन करने वाले अधिकारियों तथा एओज़ के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए पंजीकृत न्यासों/ संस्थाओं को एओज़ को समुचित डॉटाबेस उपलब्ध कराने पर विचार करना चाहिए। अपने कार्यक्षेत्र में न आने वाले क्रियाकलाप तथा निर्धारिती द्वारा की गई चूंकें, एओज़ द्वारा अनुमोदन अधिकारियों को सूचित की जानी चाहिए ताकि चूककर्ता संस्थाओं के प्रति वापसी अथवा जुर्माने की कार्रवाई शुरू की जा सके।

मंत्रालय ने बताया (मई 2013 एवं जुलाई 2013) कि लाभ कमाने वाले संगठन का डॉटाबेस बनाया जा रहा है। यह कार्य प्रक्रियाधीन है तथा सभी अनुमोदनकर्ता प्राधिकारियों को उनके द्वारा अनुमोदित सभी एनपीओज़ के विवरण अपलोड करने के लिए कहा गया है।

घ. मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सक्षम प्राधिकारी धारा 10(23सी), 12ए तथा 80जी के अन्तर्गत आदेश पारित करने के लिए समय-सीमा का पालन करते हैं, अन्यथा उन्हें अपात्र न्यासों को छूट की अनुमति न देने के लिए उत्तरदायित्व नियत किया जाना चाहिए।

मंत्रालय ने कहा (मई 2013) कि आम तौर पर समय सीमा का पालन किया जाता है। मंत्रालय ने यह भी बताया (जुलाई 2013) कि कानून में सीमा की वह अवधि पहले से ही निर्धारित/प्रदत्त है जिसके अन्दर धारा 10(23सी), 12ए, 80जी के अन्तर्गत आवेदनों का अनुमोदन/रद्दीकरण करना होता है।

लेखापरीक्षा अपना मत दोहराता है क्योंकि हमने ऐसे मामले देखे जहाँ सक्षम प्राधिकारियों ने अधिनियम में प्रदत्त समय सीमा का पालन नहीं किया जिसके कारण अपात्र न्यासों का पंजीकरण हुआ।